1/2669/15

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्र0 क0 निगरानी   –एक / 15

जिला– पन्ना

1– राजाबाई पत्नी बृजलाल प्रजापति
निवासी ग्राम व पोस्ट लुहरगांव
तहसील गुनौर जिला पन्ना म0प्र0

.........आवेदिका

विरूद्व

1– अजय कुमार पुत्र श्री रामसिया पटेल
निवासी ग्राम व पोस्ट लुहरगांव
तहसील गुनौर जिला पन्ना म0प्र0

2– मध्य प्रदेश शासन

...................अनावेदकगंण

19/8/15

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता–1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 24.4.2014 पारित द्वारा न्यायालय तहसीलदार तहसील गुनौर जिला पन्ना प्र0क0 32 / ए–12 / 2013–14 से परिवेदित होकर प्रस्तुत है।

माननीय महोदय,

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :–

1– यह कि, ग्राम लुहरगांव की आराजी नं0 1486 रकवा 0.96 हैक्टेयर एवं 1488 रकवा 0.63 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकवा 0.80 हैक्टेयर आवेदिका की स्वअर्जित संपत्ति है, जो आवेदिका के स्वतंत्र खाते की आराजी भूमि है। उन्ही भूमियो से लगी हुई राजाबाई के पुत्र बालगोविन्द एवं राजाबाई क पति बृजलाल की भी भूमियां है।

2– यह कि, ग्राम लुहरगांव की आराजी नं0 1480 रकवा 0.06 हैक्टेयर, 1483 रकवा 0.05 हैक्टेयर, 1484 कुल किता 3 कुल रकवा 0.16 हैक्टेयर भूमि अनावेदक कमांक–1 अजय

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 2669–दो/15 जिला –पन्ना

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषको आदि के हस्ताक्षर
3.10.16	यह निगरानी तहसीलदार गुनौर जिला–पन्ना द्वारा प्रकरण कमांक 32/ए–12/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 24.04.2014 के विरूद्व मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता,1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है अनावेदक अजय कुमार द्वारा संहिता की धारा 129 के अंतर्गत तहसील न्यायालय के समक्ष आवेदन–पत्र प्रस्तुत कर भूमि के सीमांकन हेतु आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार गुनौर द्वारा उक्त आवेदन पर प्रकरण पंजीबद्व करते हुये दिनांक 24.04.2014 को सीमांकन आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया गया है। 3– आवेदक अधिवक्ता ने अपने तर्कों में बताया कि तहसील न्यायालय द्वारा सीमांकन की जो कार्यवाही की गई उसमें भूमि के सरहद्दी काश्तकारों को कोई सूचना एवं सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है, राजस्व निरीक्षक ने न तो फील्डबुक बनाई और सीमांकन करते समय पंचनामें में नंबरो तक का उल्लेख नहीं किया गया। सम्पूर्ण कार्यवाही गुप चुप तरीके से संपादित की गई। संहिता की धारा 129 में विहित प्रकिया का कोई पालन नहीं किया गया। जो सीमांकन किया गया है वह	

मौके की स्थिति के पूर्ण विपरीत है। आवेदिका के पति के फर्जी हस्ताक्षर बनाकर उनकी तथा कथित रूप से उपस्थिति दर्शायी गयी है। सम्पूर्ण कार्यवाही अवैध एवं मनमानी होकर निरस्त किये जाने योग्य है। उपरोक्त तर्कों के आधार पर निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया।

4– अनावेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों में बताया कि तहसील न्यायालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की गई है। सभी लोगों को सूचना दी गई है। आवेदिका के पति कार्यवाही में उपस्थित हुये हैं। ऐसी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता कि कार्यवाही अवैध है, उन्होंने निगरानी निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

5– उभय पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों एवं प्रकरण में प्रस्तुत तर्कों का दस्तावेजों का अवलोकन किया। अवलोकन करनें में यह पाता हूं कि प्रकरण में राजस्व निरीक्षंण मण्डल गुनौर द्वारा दिनांक 03.04.14 को तहसीलदार गुनौर को प्रतिवेदन भेजा गया है। उक्त प्रतिवेदन के साथ जो पंचनामा संलग्न किया गया उस पटवारी द्वारा दिनांक 17.02.2014 को सीमांकन किया जाना दर्शाया गया है। प्रकरण में सूचना पत्र भेजा गया है उस पर राजाबाई के हस्ताक्षर नहीं है। जबकि राजाबाई उक्त सीमांकन में पक्षकार थी तथा उक्त भूमि से संलग्न भूमि की स्वामी थी। यह प्रतीत होता है कि सम्पूर्ण कार्यवाही एक ही स्थान पर बैठकर मात्र अनावेदक को लाभ देने के उद्देश्य से की गई है। मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता,1959 की धारा 129 के अन्तर्गत प्रावधान है कि सीमांकन की कार्यवाही में सभी सरहद्दी किसानों को व्यक्तिगत सूचना दी

जावेगी तथा भूमि का नक्शा निर्धारित करने के उपरांत फील्डबुक बनाकर स्थायी सीमाचिन्हों के अनुसार कार्यवाही करते हुये सीमांकन की कार्यवाही की जावेगी। वर्तमान में प्रकरण में ऐसी किसी कार्यवाही का किया जाना प्रतीत नहीं होता है। प्रकरण में पूर्व में तहसीलदार गुनौर द्वारा सीमांकन किया जा चुका है अतः नवीन सीमांकन का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैं तहसीलदार गुनौर द्वारा प्रकरण कमांक 32/ए–12/2013–14 में पारित सीमांकन आदेश को स्थिर रखे जाने योग्य नहीं पाता हूं। अतः उक्त सीमांकन आदेश निरस्त किया जाता है। निगरानीकर्ता राजाबाई द्वारा अपनी आराजी खसरा कमांक 1486, 1498/2 कुल किता 2 रकवा कुल रकवा 1.60 हैक्टेयर भूमि बांके लुहरगांव का सीमांकन प्रकरण कमांक 230/अ–12/93–94 में पारित आदेश दिनांक 24.05.94 विधि संगत होने से स्थिर रखा जाता है। तदानुसार यह निगरानी स्वीकार की जाती है। उभयपक्ष सूचित हों । प्रकरण दाखिल रिकॉर्ड हो।

सदस्य